

2025/377

217/2025  
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,  
उपखण्ड नावां जिला डीडवाना  
विषय:- राजस्व रेकॉर्ड सुरक्षी भागत अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 की धारा- पटवारी पटवार हल्का ठिकरिया कला महोदय,  
उपरोक्त विषयान्तर्गत विवेक है कि राजस्व रेकॉर्ड में अशुद्धि है जिसका निवारण निम्नानुसार है-

भूमि का विवरण	जमाबंदी में प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि को अन्वस्तर्जन कर)	की जमाबंदी ग्राहक परिवार का विवरण
पटवार हल्का <u>ठिकरिया कला</u>	<u>नन्दू देवी</u> पति <u>गोगाराय</u>	<u>नन्दू देवी</u> पति <u>गोगाराय</u>
राजस्व ग्राम <u>खरजन</u>	<u>खि० 3/19</u> जारि <u>गुर्जर सा.</u>	<u>खि० 3/19</u> जारि <u>गुर्जर सा.</u>
समाप्त संख्या <u>40</u>	<u>जोबनेर</u> तहसील <u>सांभर</u>	<u>विजयनगर</u> खोटेवाल ।
खसरा संख्या <u>196/197/198</u>	<u>खोटेदार ।</u>	
रकबा हेक्टेयर में <u>10.26</u>		

संलग्न दस्तावेज (संलग्न दस्तावेज पर टिक का निशान लगाए) -

1. अशुद्धि होने से तुरन्त पहले की जमाबंदी/नबशा
2. अशुद्धि के बाद की वर्तमान जमाबंदी/नबशा
3. प्रभावित नामान्तरण की सत्यप्रति
4. हिस्से संबंधी अशुद्धि होने पर गजमें आम में हल्का पटवारी द्वारा तैयार राजस्व
5. प्रार्थी द्वारा वंशावली के संबंध में शपथ पत्र।

कुल संलग्नक संख्या:- .....

  
हस्ताक्षर नावां

हल्का पटवारी व भू.अ.नि. की टिप्पणी मय स्पष्ट अनुशंसा (सापोटेड दस्तावेजों की जांच उपरोक्त) शुद्धि  
श्रीमान जी खोटेवाल गुजनिवासी गुण विजयनगर खोटेवाल से वर्तमान जमाबंदी में शुद्धि  
किया जाकर सा. विजयनगर ठिकरिया जारि है।


भू.अ.निरीक्षक म. अ. निरीक्षक  
25/6/25 तहसील खोटेवाल  
तहसीलदार की टिप्पणी :-

24.6.25  
हस्ताक्षर पटवारी म. अ. ठिकरिया कला  
तह नावां

हस्ताक्षर तहसीलदार 25/6/25  
खोटेवाल

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नावां जिला डीडवाना  
कमांक/राजस्व/धारा 136/2021/ दिनांक:- कृपा


आदेश  
प्रार्थी नन्दू देवी निवासी विजयनगर के आवेदन तथा हल्का पटवारी व भू.अ.नि. निरीक्षक एवं तहसीलदार NTDR प्ररि की रिपोर्ट संलग्न दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रेकॉर्ड में हुई अशुद्धि को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उपरोक्त आवेदन पत्र के सारणी के विन्दु सं. 3 में अंकित प्रविष्टि अनुसार शुद्धि की कार्यवाही कर तहसीलदार खोटेवाल राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।

  
उपखण्ड अधिष्ठाता अधिकारी  
नावां (डीडवाना-कुचामन)

कमांक/राजस्व/धारा 136/2025 PDU/13  
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

दिनांक:- 25/6/25

1. तहसीलदार नावां को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
2. हल्का पटवारी ठिकरिया कला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. प्रार्थी / आवेदक नन्दू देवी को सूचनार्थ।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नावां (डीडवाना-कुचामन)